उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 1/2026/26/94-2-2026-700(29)/2021
लखनऊ, दिनांक : 08 जनवरी, 2026

अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, अग्रिम आदेशों तक, और अधिसूचना संख्या-18/2023/995/94-एस०आर०-2-2023-700(29)/2021 दिनांक 03.08.2023 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व की गयी हों या किये जाने हेतु लोपित हों, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, राज्यपाल, नीचे सारणी के स्तम्भ-1 में यथा उल्लिखित पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद 33 के अधीन दान विलेख पर सारणी के स्तम्भ-2 में यथा दर्शित धनराशि की सीमा से अधिक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं -

सारणी

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
लिखत का विवरण	**अधिकतम स्टाम्प शुल्क**
कोई दान विलेख, जिसके द्वारा दाता, अचल सम्पत्ति का अंतरण दान के रूप में परिवार के निम्न सदस्यों - पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र वधू (पुत्र की पत्नी), सगा भाई, सगे भाई के मृतक होने की दशा में उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद (पुत्री का पति) या पौत्र/पौत्री, (पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्री) के पक्ष में करें।	रूपये 5,000/-

1- यदि ऐसी छूट का लाभ उठाने वाले दान विलेख के लिखत द्वारा प्राप्त कोई सम्पत्ति, रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से पाँच वर्ष की समयावधि के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा दान में दी जा रही हो तो उक्त सम्पत्ति का दान इस अधिसूचना के अधीन आच्छादित नहीं होगा।

2- यह अधिसूचना केवल किसी प्राकृतिक व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक व्यक्ति को दिये गये दान पर लागू होगी। इस अधिसूचना के उपबन्ध किसी वैधानिक विधिक व्यक्ति यथा-फर्म, कंपनी, ट्रस्ट या संस्था, चाहे वह दानकर्ता हो या दान प्राप्तकर्ता, या ऐसी इकाइयों के स्वामित्व वाली किसी सम्पत्ति के लिए प्रभावी नहीं होंगे।

3- इस अधिसूचना के अधीन मात्र आवासीय, कृष्य, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक सम्पत्तियों का दान आच्छादित होगा। किसी अन्य प्रकार की सम्पत्ति का दान इस अधिसूचना के उपबन्धों के अंतर्गत नहीं आयेगा।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 1/2026/26(1)/94-2-2026-700(29)/2021 दिनांक : 08 जनवरी , 2026

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 08 जनवरी, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 1/2026/26(2)/94-2-2026-700(29)/2021 दिनांक : 08 जनवरी , 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
6- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
7- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
8- समस्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), उ०प्र०।
9- समस्त सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ०प्र०।
10- विधायी अनुभाग-1
11- भाषा अनुभाग-5
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government Notification no. 1/2026/26/94-2-2026-700(29)/2021, dated : 08 January, 2026 :

NOTIFICATION
Order

No. 1/2026/26/94-2-2026-700(29)/2021
Lucknow, Dated : 08 January, 2026

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, until further orders, and in supersession of Notification No. 18/2023/995/94-S.R.-2-2023-700(29)/2021 dated 03-08-2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the Governor is pleased to remit the stamp duty, exceeding the extent of the amount as shown in Column-2 of the table below, chargeable on the gift deed under Article 33 of Schedule I-B of the aforesaid Act as mentioned in Column-1 thereof.

Table

Column-1	**Column-2**
Description of Instrument	**Maximum stamp duty**
A gift deed whereby the donor transfers immovable property by way of gift to the following family members – son, daughter, father, mother, husband, wife, daughter-in-law (wife of son), real brother, in case of deceased real brother to his widow, real sister, son-in-law (husband of daughter), or grandson/granddaughter (son/daughter of son/daughter).	₹5,000/-

1- If any property received by the instrument of a gift deed availing such exemption is being gifted by the recipient within five years from the date of registration, the gift of the said property shall not be covered under this notification.

2- This notification shall apply only to gifts made by a natural person to natural person. The provisions of this notification shall not be effective to any legal/juristic person such as a firm, company, trust, or institution, either as donor or donee, or to any property owned by such entities.

3- Only the gift of residential, agricultural, commercial, and industrial properties will be covered under this notification. Gifts of any other type of property shall not fall within the provisions of this notification.

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।